

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक पं. 1(30)साप्र/5/2016

जयपुर, दिनांक: 22 OCT 2019

आदेश

राजस्थान के मूल निवासियों को गंभीर बीमारी (कैंसर, हृदय रोग, अल्जाईमर, किडनी/लीवर प्रत्यारोपण) से पीड़ित होने एवं गंभीर बीमारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर राजस्थान भवन, वाशी, नवी मुम्बई में राजकीय कैटेगरी अ-1 (ग्रुप-ए) की दर पर न्यूनतम 7 दिवस एवं विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 15 दिवस तक आवास/भोजनादि की सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


राज्यपाल की आज्ञा से,



(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके आई.डी. क्रमांक एफ 19004025 दिनांक 18.10.2019 के क्रम में।
2. निजी सचिव, वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
5. प्रबंधक, राजस्थान भवन, वाशी, नवी मुम्बई।
6. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव